संख्या-7/2023/63/004-23-9-2022-02अन्य/2019

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 13 जनवरी, 2023**

विषय वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/ मिसिंग लिंक एवं अन्यग्रामीण मार्गों के 02 चालू कार्यो पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार अनजुड़ी बसावट योजनान्तर्गत जनपद बलिया के 02 कार्यो हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में तालिका के स्तम्भ-10 के अनुसार कुल रू0 1,21,68,000/- (रूपये एक करोड़ इक्कीस लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्रम सं0	मुख्य अभियंता (मु0-1) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / लागत मूल	अब तक आवंटित धनराशि	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2758/CE-HQ1/AV/AZM/2022-23 Dt- 07-01-2023	बलिया	गौरा मदनपुरा से इसारपीठा पट्टी तक मार्ग	11/2019/343/23-9-2019-01अन्य/2018टी0सी0 -दिनांक-01-03-2019	136.46	49.67	0.78	86.01	86.01
2	2758/CE-HQ1/AV/AZM/2022-23 Dt- 07-01-2023	बलिया	इहा बिहरा से दुबौली ग्रामसभा तक मार्ग	11/2019/343/23-9-2019-01अन्य/2018टी0सी0 -दिनांक-01-03-2019	179.73	143.78	0.28	35.67	35.67
				योग					121.68

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गो को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तामरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,21,68,000 (रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख अड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371500 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुननिर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

संख्या-7/2023/63(1)/004-23-9-2022-02अन्य/2019 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in